संख्या-15 /2024/384 /003-87-01002-002-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6607/यूपीनेडा-एसई- कुसुम योजना (घटक सी-1)/2022, दिनांक 15 मार्च, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों3 के सोलराइजेशन हेतु मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्यस (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-619/001-87-01002-002-1-2023, दिनांक 31 मई, 2023 द्वारा धनराशि रू0 1250.00 लाख (रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र) एवं शासनादेश शासनादेश संख्याप-13/2024/81/002-87-01002-002-1-2023, दिनांक 07 मार्च, 2024 द्वारा रू0 15592488.00 की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

आपके उक्त पत्र में किये गये प्रस्ताशव के क्रम में निजी ऑनग्रिड पम्प7 के सोलराईजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन मद में राज्यां श के रूप में प्राविधानित बजट रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 359407512.00 (रूपये पैतीस करोड़ चौरान्वेत लाख सात हजार पांच सौ बारह मात्र) की वित्तीयि स्वी3कृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6- द्वविरावृत्ति से बचने के लिए कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

7- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

10- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसका उपभोग दिनांक 31-03-2024 तक हो सके तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्ति उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्धत कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,94,07,512 (रुपये पैंतीस करोड़ चौरानवे लाख सात हजार पांच सौ बारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810608000501 पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या म्-10-181-ग्-2023-24-दिनांकः19-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या15 /2024/384 /003-87-01002-002-1-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।